न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 201/2014 दायरा दिनांक : 07.11.2014

उनवान

सीताराम आत्मज शंकर जी चमार, निवासी मगीसपुर, तहसील पिडावा (मृतक) जर्ये कायम मुकामान श्रीमती अमरीबाई पुत्री सीताराम, आयु 42 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी ढाबलाखींची, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती रूकमणी बाई बेवा गोपाल कुल्मी

2— श्री किशोर आत्मज गोपाल कुल्मी

3— श्रीमती मंजूबाई पुत्री गोपाल कुल्मी

निवासीगण मगीसपुर, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील पिडावा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रमेश सोनी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री के.एल.रावल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 की ओर से

टंकणकर्ता
[signature]
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो—(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

[signature]
डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

निर्णय दिनांक : 07.11.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक जिलाधीश, झालावाड के प्रकरण संख्या – 473/94 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.1995 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम मगीसपुर, तहसील पिडावा की आराजी खसरा नम्बर 683 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी अपीलांट के खातेदारी की है। इस आराजी पर वादीगण के पति/पिता गोपाल कुल्मी स्वयं, इससे पहले उनके पिता रामनिवास का वास्तविक कब्जा पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे। इसके अलावा वादीगण के पति/पिता ने उक्त आराजी दिनांक 05.03.1975 को 4000/– में प्रतिवादी नं. 1 से जर्ये रजिस्ट्री खरीद कर ली है। गोपाल फौत हो चुका है उसके कायम मुकामान वादीगण है। इसलिए वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे व प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम खाते से हटाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण डिक्री कर ग्राम मगीसपुर, तहसील पिडावा की आराजी खसरा नम्बर 683 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार टीनेन्ट वादीगण घोषित किया। आराजी प्रतिवादी नं. 1 के खाते से कम की जाकर वादीगण के खातेदारी में दर्ज की जावे, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

न्याय, विधान व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर त्रुटि की है कि विवादित आराजी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खाते की है व उसके हस्तान्तरण पर धारा 42 राज. टी. एक्ट. निषेध है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1, 2, 3 व 6 रेस्पोडेंट्स के पक्ष में निर्णय कर दावा डिक्री करने में भूल की है। अपीलांट्स मृतक सीताराम को जो सम्मन भेजा गया उस पर तामीली रिपोर्ट पर दर्ज है कि इस नाम का कोई व्यक्ति मगीसपुर में नहीं रहता है फिर भी इसी पते पर अखबार में सम्मन भेज कर तामील मान ली गई है ,जो कानूनी दृष्टि से दोषपूर्ण है एवं कार्यवाही एक तरफा अवैधानिक है इस आधार पर निर्णय व डिक्री गैरकानूनी होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.10.2014 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 648, आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 577, आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 874, आर. आर.टी. 2003 (2) पेज 780, आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 724, आर.आर. टी. 2008 (2) पेज 1197 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

टंकणकर्ता
लेखा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् दिनांक 15.07.1995 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया है और अपीलांट सीताराम द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 07.11.2014 को अपील पेश की गई जो लगभग 19 साल मियाद बाहर पेश की गई है । इस प्रकार अपीलांट सीताराम ने मियाद के सम्बन्ध में एक एक दिन के डिले को साबित नहीं किया है जबकि मियाद के बिन्दु पर एक एक दिन के डिले को साबित किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा डिले के सम्बन्ध में किस प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त कारण अवगत करवाये हैं ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.1995 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

## डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix G'9)**

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

**डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)**

सीताराम आत्मज शंकर जी चमार, निवासी मगीसपुर, तहसील पिडावा (मृतक) जर्ये कायम मुकामान श्रीमती अमरीबाई पुत्री सीताराम, आयु 42 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी ढाबलाखींची, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

**..........अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1– श्रीमती रूकमणी बाई बेवा गोपाल कुल्मी
2– श्री किशोर आत्मज गोपाल कुल्मी
3– श्रीमती मंजूबाई पुत्री गोपाल कुल्मी
निवासीगण मगीसपुर, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील पिडावा

**.... रेस्पोडेंट**

अपील नं. **<u>201/2014</u>** एवं
मु.द.नं0 **<u>473/94</u>**

नाराजगी डिक्री अदालत – **<u>सहायक जिलाधीश, झालावाड़</u>**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **<u>15.07.1995</u>**

**<u>दावा बाबत</u>**

माह अपील व तारीख **14** माह **10** सन् **2022**

हाजरी **श्री रमेश सोनी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री के0एल0रावल** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट नं0 1 ल0 3 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

**अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री** दिनांक 15.07.1995 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **07** माह **11** सन् **2022** को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)